THE CURRENTS

UPSC करेंट अफेयर्स · हिन्दी संस्करण · HINDI EDITION

2026-03-11

इस अंक में

#01 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने की मंजूरी दी

#02 केरल कैबिनेट ने नए नारकोटिक्स ब्यूरो को मंजूरी दी

#03 छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने नए धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के मसौदे को मंजूरी दी

#04 नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए लिंक रोड परियोजना की लागत में 23% की वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी

#05 अब राजस्थान विधानसभा ने यूलबी चुनावों के लिए दो-बच्चों के नियम को निरस्त करने वाला विधेयक पारित किया

राजनीति एवं शासन · बुनियादी ढाँचा · SCHEMES & INITIATIVES

#01

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने की मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यह कदम हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और विदेशी एयरलाइंस के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेगा। वर्तमान में, हवाई अड्डा सीमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करता है। इस नए दर्जे के साथ, हवाई अड्डे में नियमित अंतरराष्ट्रीय मार्गों में वृद्धि होने की संभावना है। इस विकास को क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि

> *मदुरै हवाई अड्डा कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने की मांग कर रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए काम कर रहा है, जिससे इसकी कनेक्टिविटी में वृद्धि हो और विदेशी एयरलाइंस के लिए इसकी आकर्षण बढ़े।*

मुख्य बिंदु

- **केंद्रीय मंत्रिमंडल — अंतरराष्ट्रीय दर्जा:** मदुरै हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दी गई।
- **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) — हवाई अड्डा उन्नयन:** अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास।
- **मदुरै हवाई अड्डा — अंतरराष्ट्रीय मार्ग:** नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि की उम्मीद है।
- **विदेशी एयरलाइंस — अनुमोदन प्रक्रिया:** मदुरै हवाई अड्डे में संचालन के लिए अनुमोदन प्रक्रिया आसान होगी।
- **क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था — पर्यटन उद्योग:** स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि की उम्मीद है।

नीतिगत निहितार्थ

> *मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और विदेशी एयरलाइंस के लिए आसान अनुमोदन प्रक्रिया से क्षेत्र में अधिक पर्यटकों और व्यवसायों को आकर्षित किया जा सकेगा, जिससे इसके विकास और विकास में योगदान होगा। इस विकास के परिणामस्वरूप, मदुरै हवाई अड्डा एक महत्वपूर्ण पर्यटन और व्यावसायिक केंद्र बन सकता है।*

📰 The Hindu

राजनीति एवं शासन · अर्थव्यवस्था · SCHEMES & INITIATIVES

#02

केरल कैबिनेट ने नए नारकोटिक्स ब्यूरो को मंजूरी दी

केरल कैबिनेट ने एक नए नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसका नेतृत्व एडीजीपी रैंक के अधिकारी करेंगे। ब्यूरो में 3 इकाइयाँ होंगी, जिनमें नारकोटिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, नारकोटिक्स जांच यूनिट, और नारकोटिक्स अभियोजन यूनिट शामिल हैं। नए ब्यूरो में 300 कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिनमें 20 डीएसपी, 50 निरीक्षक, और 100 उप-निरीक्षक शामिल हैं। केरल सरकार ने ब्यूरो की प्रारंभिक स्थापना के लिए ₹10 करोड़ आवंटित किए हैं।

पृष्ठभूमि

> *नए नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना का निर्णय केरल में बढ़ते नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामलों के मद्देनज़र लिया गया है। राज्य में हाल के वर्षों में नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों में ЗНaपी वृद्धि देखी गई है, जिससे सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज़ एक्ट, 1985, इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को कानूनी ढांचा प्रदान करता है।*

मुख्य बिंदु

- **केरल कैबिनेट — नारकोटिक्स ब्यूरो:** नए नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना को मंजूरी दी।
- **केरल सरकार — नारकोटिक्स ब्यूरो:** ब्यूरो की प्रारंभिक स्थापना के लिए ₹10 करोड़ आवंटित किए।
- **नारकोटिक्स ब्यूरो — कर्मियों:** 300 कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिनमें 20 डीएसपी, 50 निरीक्षक, और 100 उप-निरीक्षक शामिल हैं।
- **नारकोटिक्स ब्यूरो — इकाइयाँ:** 3 इकाइयाँ होंगी, जिनमें नारकोटिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, नारकोटिक्स जांच यूनिट, और नारकोटिक्स अभियोजन यूनिट शामिल हैं।
- **केरल सरकार — एडीजीपी:** ब्यूरो का नेतृत्व एडीजीपी रैंक के अधिकारी करेंगे।

नीतिगत निहितार्थ

> *नए नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना से राज्य के नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संबंधित अपराधों से निपटने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और अन्य नारकोटिक्स से संबंधित गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान और अभियोजन करेगा।*

📰 The Hindu

राजनीति एवं शासन · SCHEMES & INITIATIVES

#03

छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने नए धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के मसौदे को मंजूरी दी

छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2023 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए है। इस मंजूरी के साथ, विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश करने के लिए रास्ता साफ हो गया है, जो वर्तमान में सत्र में है। विधेयक में जबरन धर्म परिवर्तन के दोषी पाए जाने वालों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ सरकार इस कानून पर कुछ समय से काम कर रही है।

पृष्ठभूमि

> *छत्तीसगढ़ में जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा कई वर्षों से एक चिंता का विषय रहा है। 2020 में, राज्य सरकार ने ऐसे परिवर्तनों को रोकने के लिए एक कानून लाने की घोषणा की थी, जिसमें राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन के उदाहरणों का हवाला दिया गया था। मसौदा विधेयक इस घोषणा का पालन है, और इसकी मंजूरी कैबिनेट द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है।*

मुख्य बिंदु

- **छत्तीसगढ़ कैबिनेट — छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2023:** राज्य विधानसभा में पेश करने के लिए मसौदे को मंजूरी दी।
- **छत्तीसगढ़ सरकार — धर्म परिवर्तन विरोधी कानून:** जबरन धर्म परिवर्तन के दोषी पाए जाने वालों के लिए सख्त दंड का प्रावधान करता है।
- **राज्य विधानसभा — विधायी सत्र:** वर्तमान में सत्र में है, जहां विधेयक पेश किया जाना है।
- **छत्तीसगढ़ सरकार — कानून:** जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कुछ समय से काम कर रही है।
- **छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2023 — दंड:** जबरन धर्म परिवर्तन के दोषी पाए जाने वालों के लिए दंड का प्रावधान करता है।

नीतिगत निहितार्थ

> *मसौदे की मंजूरी के परिणामस्वरूप राज्य के जबरन धर्म परिवर्तन पर कानून के लिए महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। यदि यह कानून बन जाता है, तो यह छत्तीसगढ़ में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने और दंडित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करना कानूनी प्रक्रिया का अगला कदम है।*

The Hindu

राजनीति एवं शासन · बुनियादी ढाँचा

#04

नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए लिंक रोड परियोजना की लागत में 23% की वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली लिंक रोड परियोजना की लागत में 23% की वृद्धि को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, जिससे परियोजना की लागत ₹3,630 करोड़ हो गई है। यह 31-किमी लिंक रोड हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड अन्नुइटी मोड पर विकसित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि लिंक रोड का 11 किमी हिस्सा एक ऊंचा राजमार्ग होगा। यह परियोजना नोएडा एयरपोर्ट और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच संपर्क में सुधार करने के लिए है। परियोजना की संशोधित लागत और विवरण हाल ही में घोषित किए गए थे।

पृष्ठभूमि

> *दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा समय को कम करना है। नोएडा एयरपोर्ट से एक्सप्रेसवे तक की लिंक रोड इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है, और इसके विकास से क्षेत्र में संपर्क और आर्थिक विकास में सुधार होने की उम्मीद है। हाइब्रिड अन्नुइटी मोड, जिसके तहत परियोजना विकसित की जाएगी, भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक लोकप्रिय मॉडल है, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देता है और सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करता है।*

मुख्य बिंदु

- **मंत्रिमंडल — लिंक रोड परियोजना:** परियोजना की लागत में 23% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे लागत ₹3,630 करोड़ हो गई है।
- **राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण — हाइब्रिड अन्नुइटी मोड:** 31-किमी लिंक रोड हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस मोड पर विकसित की जाएगी।
- **परियोजना विवरण — ऊंचा राजमार्ग:** लिंक रोड का 11 किमी हिस्सा एक ऊंचा राजमार्ग होगा, जिससे संपर्क में सुधार होगा और यात्रा समय कम होगा।
- **मंत्रिमंडल — परियोजना अनुमोदन:** संशोधित परियोजना लागत और विवरण हाल ही में अनुमोदित किए गए हैं, जो परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय — बुनियादी ढांचा विकास:** यह परियोजना सरकार के बुनियादी ढांचा में सुधार और क्षेत्र में संपर्क में सुधार के प्रयासों का हिस्सा है।

नीतिगत निहितार्थ

> *परियोजना की संशोधित लागत और विवरण को मंजूरी देना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो क्षेत्र में संपर्क में सुधार और आर्थिक विकास में सुधार करने की उम्मीद है। परियोजना का हाइब्रिड अन्नुइटी मोड पर विकास निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने और सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करने की उम्मीद है।*

The Hindu

#05

अब राजस्थान विधानसभा ने यूलबी चुनावों के लिए दो-बच्चों के नियम को निरस्त करने वाला विधेयक पारित किया

राजस्थान विधानसभा ने यूलबी चुनावों के लिए दो-बच्चों के नियम को निरस्त करने वाला विधेयक पारित किया है। 2019 में दो-बच्चों का नियम पेश किया गया था, जिसमें यूलबी चुनावों में दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका गया था। इस विधेयक का उद्देश्य इस प्रतिबंध को हटाना है, जिससे दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति यूलबी चुनावों में भाग ले सकें। यह कदम राज्य में लगभग 10% यूलबी सीटों पर प्रभाव डालने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि स्थानीय शासन में भागीदारी बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

पृष्ठभूमि

> *दो-बच्चों का नियम 2019 में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना था, लेकिन इसका विभिन्न पक्षों द्वारा विरोध किया गया, जिनमें विपक्षी दल और सामाजिक संगठन शामिल थे, जिन्होंने तर्क दिया कि यह व्यक्तियों के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार पर एक अनुचित प्रतिबंध था।*

मुख्य बिंदु

- **राजस्थान विधानसभा — यूलबी चुनाव:** दो-बच्चों के नियम को निरस्त किया।
- **राजस्थान सरकार — पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019:** 2019 में दो-बच्चों के नियम को पेश किया।
- **राजस्थान सरकार — यूलबी चुनाव:** लगभग 10% यूलबी सीटें प्रभावित होने की उम्मीद है।
- **राजस्थान सरकार — स्थानीय शासन:** स्थानीय शासन में भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य है।
- **राजस्थान विधानसभा — विधेयक:** दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध हटाने के लिए पारित किया गया।

नीतिगत निहितार्थ

> *दो-बच्चों के नियम को निरस्त करने से राजस्थान में आगामी यूलबी चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिसमें अब अधिक व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, इस कदम से राज्य में जनसंख्या नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं उठ सकती हैं।*

The Hindu

त्वरित प्रश्नोत्तर

1. सुप्रीम कोर्ट विशेष न्यायाधिकरणों के गठन के लिए किस अनुच्छेद के तहत निर्देश देता है?
   उत्तर: **अनुच्छेद 142**

2. महाराष्ट्र सरकार की एमएमआर में महिला कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक प्रस्थान योजना का मुख्य प्रावधान क्या है?
   उत्तर: **लचीले कार्य घंटे**

3. बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा कानूनों की लहर के बीच आयु-जांच प्रौद्योगिकी किस वर्ष तक आयु में परिपक्व हो गई है?
   उत्तर: **2026**

4. आईआईटी-एम द्वारा छह व्यक्तियों को दिया गया पुरस्कार का नाम क्या है?
   उत्तर: **पहले सिद्धांत शिक्षक पुरस्कार**

5. सुप्रीम कोर्ट कोमा में एक व्यक्ति के जीवन समर्थन को वापस लेने की अनुमति किस अनुच्छेद के तहत देता है?
   उत्तर: **अनुच्छेद 21**

6. बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित विशेष न्यायाधिकरणों का उद्देश्य क्या है?
   उत्तर: **बंगाल एसआईआर से बाहर निकाले गए लोगों की अपील सुनने के लिए**

7. पहले सिद्धांत शिक्षक पुरस्कार कौन प्रदान करता है?
   उत्तर: **आईआईटी-एम**

8. केरल में पीएम द्वारा उद्घाटन किया गया रेलवे परियोजना किस मंत्रालय के तहत आता है?
   उत्तर: **रेल मंत्रालय**